

b&xouU l l k l kbVh /ke l'kkyk dk vdf{k.k ,o fujh{k.k ifronu

vof/k 9@2005 l 3@2013

1 i k j fEHkd

हिमालच प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग की अधिसूचना सं० टी०पी०टी०-एफ (1) 3/2000 ई-गवर्नेस दिनोंक 3-9-2005 के अंतर्गत प्रदेश के परिवहन विभाग से सम्बन्धित ई-गवर्नेस सोसाईटी का अंकेक्षण निदेशक, हि०प्र० स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपा गया था जिसकी अनुपालना में ई० गवर्नेस सोसाईटी धर्मशाला के अवधि 9/2005 से 3/2013 के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग के अनुभाग अधिकारी श्री अशोक कुमार सूद व आर्टिकल सहायक श्री भवनीष पुरी द्वारा दिनोंक 08-08-2013 से 26-8-2013 के दौरान धर्मशाला में किया गया। ई० गवर्नेस सोसाईटी धर्मशाला का गठन, सभायें पंजीकरण अधिनियम xx1,1860 (हिमाचल प्रदेश संशोधित अधिनियम 1973) के अंतर्गत दिनोंक 19-4-2004 को पंजीकरण संख्या 4121/2004 के अन्तर्गत हुआ। अंकेक्षण अवधि में निम्नलिखित अधिकारी सोसाईटी के अध्यक्ष व सचिव के पद पर कार्यरत रहे।

Ukke	Designation	vof/k
सर्वश्री भरत खेरा	अध्यक्ष	3/9/2005 से 6/9/2007
सर्वश्री अष्वनी कपूर	अध्यक्ष	6/9/2007 से 18/1/2008
सर्वश्री कमलेश वंत	अध्यक्ष	19/1/2008 से 2/6/2009
सर्वश्री आ०एस० गुप्ता	अध्यक्ष	4/6/2009 से 31/5/2012
सर्वश्री के०आर० गुप्ता	अध्यक्ष	1/6/2012 से 4/1/2013
सर्वश्री सी पालराम	अध्यक्ष	4/1/2013 से लगातार
सर्वश्री राकेश शर्मा	सचिव	3/9/2005 से 16/4/2007
सर्वश्री डी०सी० राणा	सचिव	16/4/2007 से 10/1/2011
सर्वश्री सन्दीप सूद	सचिव	10/1/2011 से 14/2/2011
श्रीमती कुमुद सिंह	सचिव	14/2/2011 से 30/4/2011
सर्वश्री सन्दीप सूद	सचिव	30/4/2012 से 4/2/2013
सर्वश्री डा० हरीष गज्जू	सचिव	4/2/2013 से लगातार

ई-गवर्नस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा प्रदान की गई सूचना व अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त सोसाईटी द्वारा प्रदान किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो प्रदान नहीं की गई है की जिम्मेवारी लेने से इन्कार करता है।

वर्तमान अंकेक्षण के दौरान आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 10/05, 5/06, 1/08 5/08, 10/09, 7/10, 11/11 व 3/13 का चयन किया गया।

2 **वर्तमान अंकेक्षण**

ई-गवर्नस सोसाईटी धर्मशाला के अवधि 9/2005 से 3/2013 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवस के आधार पर कुल ₹14300 आँका गया। अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने के लिए निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमालय (9) को बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भेजने हेतु अनुभाग अधिकारी की अंकेक्षण अध्याचना सं० एल०ए०डी० (वृत्त-धर्मशाला) 2013-14/118 दिनांक 26-8-2013 द्वारा जिलाधीश काँगडा स्थित धर्मशाला एवं अध्यक्ष, ई-गवर्नस सोसाईटी धर्मशाला से अनुरोध किया गया।

3 **परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों/सेवायें भी प्रदान की जा रही हैं जैसे कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना व भूमि का पर्चा इत्यादि जारी करना इत्यादि तथा इन सभी सेवाओं के प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क का इकट्ठा एक रोकड में इन्द्राज किया गया है व सम्पूर्ण राशि को ईलाहबाद बैंक के बचत खाते में जमा करवाया गया।**

ई-गवर्नस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित सेवाओं के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों/सेवायें भी प्रदान की जा रही हैं जैसे कि भूमि दस्तावेज का पंजीकरण, विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी करना व भूमि का पर्चा इत्यादि जारी करना इत्यादि तथा इन सभी सेवाओं के प्रदान करने पर प्राप्त सेवा शुल्क का इकट्ठा एक रोकड में इन्द्राज किया गया है व सम्पूर्ण राशि को ईलाहबाद बैंक के बचत खाते में जमा करवाया गया। इसकें अतिरिक्त उपरोक्त गतिविधियों से प्राप्त आय में से पूरा व्यय भी एक ही खाते से किया गया है। परिणामस्वरूप ई-गवर्नस सोसाईटी द्वारा परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित अलग से वित्तिय स्थिति नहीं बनाई गई अपितु सोसाईटी द्वारा अपनी समस्त गतिविधियों की समांकित वित्तिय स्थिति तैयार की गई है जोकि **ifjfk"V&d** पर सलग्न है। अतः परामर्श दिया जाता है अंकेक्षण अवधि की तथा इसके पश्चात परिवहन की गतिविधियों से प्राप्त सेवा शुल्क तथा उसमें से किए गए व्यय का अलग से लेखा जोखा तैयार करके तथा परिवहन की गतिविधियों से

सम्बन्धित वित्तीय स्थिति अलग से तैयार करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

4 fuoi'k&

ई-गवर्नेंस सोसायटी धर्मशाला द्वारा दिनांक 31-03-13 तक ₹977141 का सावधि जमा के अन्तर्गत निवेश किया गया जिसका विस्तृत ब्यौरा इस प्रकार से है:-

fuoi'k frfFk	fuoi'k jkf'k	ifjiDork frfFk	vof/k	ifjiDork jkf'k
22-6-12	977141.00	22-6-13	1 वर्ष	10,73,329.00

ई-गवर्नेंस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा रोकड बही में उक्त सावधि जमा में निवेशित राशि के अधीन केवल ₹8,00,000.00 दर्ज की गई जबकि सावधि जमा राशि पर अर्जित ब्याज की ₹177141 को रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया जिसके कारण स्पष्ट किया जाए।

5 cpr [kkri l lEcU/kr C;kt dh ₹70234 dk jkdM ogh e nt! u dju ckj&

अंकेक्षण के दौरान रोकड वही व बैंक पास बुक के मिलान के दौरान पाया गया कि सोसाईटी द्वारा दिनांक 31-3-13 तक बचत खाते से सम्बन्धित ब्याज की ₹70234 को रोकड बही में दर्ज नहीं किया गया था जिसके अभाव में सोसाईटी की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती दर्ज है जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाये तथा उक्त व्याज की राशि की संस्था स्तर पर जाँच करके इसकी प्रविष्टियां रोकड में की जाए तथा भविष्य में समय-समय अर्जित ब्याज को रोकड बही में दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना की जाँच आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाये।

6 jkdM cgh@y[kk dk j[k&j[kko fu;eku l kj u fd;k tkuk&

हि0प्र0 सरकार की अधिसूचना सं0 टी0पी0टी0-एफ(1) 3/2000-ई-गवर्नेंस दिनांक 3/9/2005 की धारा 3(ए) के अनुसार सोसाईटी द्वारा नियमानुसार लेखों का रख रखाव सुनिश्चित करते हुए प्रतिवर्ष Balance Sheet तैयार की जानी अपेक्षित है परन्तु सोसाईटी द्वारा न तो रोकड बही का निर्माण सही ढंग से किया गया है और न ही Ledger बनाएँ गये है। इसके अतिरिक्त

सोसाईटी द्वारा Balance Sheet भी तैयार नहीं की गई है। अंकेंक्षण के दौरान रोकड बही की जाँच में पाया गया कि जब रोकड में कोई गलती हो जाती है अथवा किसी गलत मद का ईन्द्राज हो जाता है तो ई-गवर्नेंस सोसाईटी द्वारा उसे काट कर व ठीक मद को अलग से पुनः लिखने की जगह गलत ईन्द्राज के उपर ही इसे ठीक कर दिया जाता है जो एक अनुचित प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त रोकड की जाँच में पाया गया कि प्रत्येक माह के अन्त में कोई मासिक विवरण नहीं दिया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में जब कभी भी रोकड में किसी ईन्द्राज को ठीक करना है तो पुरानी प्रविष्टी को काट कर व नई प्रविष्टी पुनः लिख कर तथा सक्षम अधिकारी इसे प्रतिहस्ताक्षरित करवा कर इसका पुनः ईन्द्राज किया जाए। इसके अतिरिक्त रोकड बही में प्रत्येक माह में प्राप्त की गई कुल आय तथा माह के दौरान किए गए कुल व्यय के विवरण उपरान्त अन्त षेष्ठ का विवरण देकर हस्तगत राशि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र व बैंक में जमा राशि का विवरण भी दिया जाए रोकड बही के षेष्ठ का बैंक के षेष्ठ से मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाए। रोकड बही में पाई गई उक्त अनियमितता को उप-मण्डल अधिकारी (न) एवं सचिव ई-गवर्नेंस सोसाईटी के ध्यानार्थ अंकेंक्षण अध्याचना सं० 106-07 दिनांक 19-8-2013 द्वारा लाया गया जिसके उत्तर में उनके द्वारा समस्त अभिलेख ठीक ढंग से तैयार करने का आश्वासन दिया। अतः परामर्श दिया जाता है कि अविलम्ब नियमों की अनुपालना करते हुए रोकड वही का निर्माण सही ढंग से करने के अतिरिक्त सम्बन्धित लैजर, **Balance Sheet** तथा बैंक समाधान विवरणी भी समय-2 तैयार की जाए व जाँच हेतु आगामी अंकेंक्षण में प्रस्तुत की जाए।

7 ifjogu foHkkx dh xfrfof/k;k l lEcU/k r ikIr vk; rFkk 0;; d ckj e%&

ई-गवर्नेंस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा प्रस्तुत आकड़ों/अभिलेख के अनुसार अंकेंक्षणाधीन अवधि में परिवहन विभाग की गति विधियों से सम्बन्धित प्राप्त सेवा शुल्क का विवरण निम्न प्रकार से है।

d0l0	vof/k	l ok 'kYd ₹
1	3 / 9 / 2005 से 3 / 2006	323950
2	4 / 2006 से 3 / 2007	443550
3	4 / 2007 से 3 / 2008	495420
4	4 / 2008 से 3 / 2009	627970
5	4 / 2009 से 3 / 2010	7591601
6	4 / 2010 से 3 / 2011	804290
7	4 / 2011 से 3 / 2012	857170
8	4 / 2012 से 3 / 2013	835845
dy oly dh xb		5147355

jkf'k

अंकेक्षण द्वारा सोसाईटी की परिवहन विभाग की गतिविधियों से सम्बन्धित व्यय की जाँच नहीं की जा सकी क्योंकि सोसाईटी द्वारा परिवहन विभाग की गतिविधियों हेतु किए गये व्यय का अलग से कोई अभिलेख नहीं रखा गया जबकि इस विषय को उप-मण्डल अधिकारी (न) एवं सचिव ई-गवर्नेंस सोसाईटी के ध्यानार्थ में अंकेक्षण अध्याचना सं० 106-107 दिनांक 19-8-2013 द्वारा लाया गया था जिसके उत्तर में उनके पत्र सं० 343/e-Gov दिनांक 21-8-13 द्वारा सूचित किया गया कि सोसाईटी द्वारा सभी स्रोतों से प्राप्त आय में से इक्कठा व्यय किया गया है। अतः परामर्श दिया जाता है कि परिवहन की गतिविधियों से सम्बन्धित आय तथा व्यय का अलग-2 से लेखा जोखा रखा जाए।

8 jktdh; dk"e ₹41994 de tek djok;k tkuk&

हि०प्र० प्रदेश सरकार की अधिसूचना सं० टी०पी०टी०-एफ(1) 3/2000-ई-गवर्नेंस दिनांक 3/9/2005 के पैरा 3(बी) के अनुसार सेवा शुल्क के रूप में प्राप्त की गई कुल वसूलियों का 25% भाग राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षणाधीन अवधि 3/9/2005 से 31-3-2013 के दौरान सेवा शुल्क के रूप में कुल ₹5147355 की वसूली की गई थी जिसका 25% भाग ₹1286839 राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु अंकेक्षणाधीन अवधि में सोसाईटी द्वारा निम्न विवरणानुसार केवल मात्र ₹844845 राजकीय कोष में जमा करवाई गई।

de l0	Pkyku l0 o fnukid	jkf'k
1	203 दिनोंक 14-07-2008	61772
2	202 दिनोंक 14-07-2008	110888
3	163 दिनोंक 12-12-2008	123855
4	235 दिनोंक 15-03-2010	157467
5	214 दिनोंक 19-11-2010	189790
6	32 दिनोंक 25-08-2011	201073
		844845

इस प्रकार उपरोक्त विवरणानुसार ₹1286839 – ₹844845 = ₹441994 राजकीय कोष में कम जमा करवाए गई जिसके कारण स्पष्ट किए जाए तथा अविलम्ब कम जमा करवाई गई राशि को राजकीय कोष में जमा करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही राजकीय कोष में राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त वसूली गई राशियों को समय पर राजकीय कोष में जमा नहीं करवाया जा रहा है जबकि शुल्क की वसूली को वसूली वाले दिन या अगले कार्य दिवस राजकीय कोष में जमा करवाया जाना अपेक्षित था परन्तु सोसाईटी द्वारा इनकी पूर्ण रूप से अवहेलना की जा रही है तथा जिसके कारण स्पष्ट किये जाए तथा भविष्य में वसूल की गई राशि का नियमानुसार समय पर राजकीय कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

7 gkb fID; kfjVh jftLV'ku uEcj lyV d l kFk tkjh fd, tk jg jftLV'ku lfvQdV gr ₹2263700 dh lok 'kYd dh o lyh u dju ckj%&

चर्चा के दौरान अंकेक्षण दल को बताया कि ई-गवर्नेंस सोसाईटी धर्मशाला द्वारा वाहनों के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने का सेवा शुल्क प्रति वाहन ₹100 निर्धारित किया गया था। अभिलेख की जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा वाहनों में हाई सिक्योरिटी प्लेट बदलने हेतु माह 3/2013 तक कुल 22637 वाहनों को नए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी किए गये परन्तु उनसे कोई सेवा शुल्क की वसूली नहीं की गई। इस प्रकार ₹2263700 की वसूली (22637 सर्टिफिकेट x ₹100 प्रति सर्टिफिकेट) नहीं की गई। इस विषय को अनुभाग अधिकारी अंकेक्षण अध्याचना सं० 114 दिनोंक 23-8-2013 द्वारा सचिव, ई-गवर्नेंस सोसाईटी एवं उप-मण्डल अधिकारी (न) धर्मशाला के साथ उठाया गया परन्तु

उनके द्वारा कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया गया। अतः हाई सक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट बदलने हेतु सेवा शुल्क को ₹2263700 की वसूली न करने के कारण स्पष्ट किए जाए तथा इस प्रकरण में सस्था स्तर पर जाँच करके वस्तु स्थिति में अंकेक्षण को अवगत करवाया गया तथा अविलम्ब उचित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 j l h n k d k j n n @ [k k j h t d j u c k j k &

जाँच में पाया गया कि सोसाईटी द्वारा जब भी कोई रसीद रदद/खारीज की जाती है तो उसके रदद करने का कोई कारण नहीं दिया जाता है। यहा पर यह भी वर्णित किया जाता है कि सोसाईटी द्वारा सदैव रसीदे कम्प्यूटर के माध्यम से जारी की जाती है जिसकी कोई प्रतिलिपी अभिलेख मे रखी जाती है। अतः ऐसी आवस्था में यह सुनिश्चित करना कि सोसाईटी द्वारा कितनी रसीदे किन-2 कारणों से रदद की गई की जाँच नहीं की जा सकी। अतः परामर्श दिया जाता है कि रसीदे रदद करने पर, उसका ईन्द्राज दैनिक विवरणी/रोकड में करके तथा रसीदों को रदद करने के कारण स्पष्ट करते हुऐ इन्हे सक्षम अधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करवाया जाए तथा अनुपालना आगामी अंकेक्षण में दर्शाई जाए।

10 e k g 5 @ 0 6 I I E c f U / k r j l h n k d k t k p g r i L r r u d j u k k &

ई-गवर्नेंस सोसाईटी द्वारा माह 5/06 की वसूलियों से सम्बन्धित रसीदे @रसीद प्रस्तके अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं की गई जिसके अभाव में अंकेक्षण द्वारा रोकड बही में दर्ज की गई आय का सत्यापन माह 5/06 में बैंक में जमा करवाई गई राशियों से सम्बन्धित स्कूल के साथ किया गया। अतः सम्बन्धित रसीदे जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।

11 y / k v k i f Ÿ k f o o j f . k d k k & यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12 f u " d " k k & लेखों के रख-रखाव में सुधार की आवश्यकता है।

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.

पृष्ठांकन संख्या: फिन(एल0ए0)H(2)C(15)(12)(5)/2013-खण्ड-1

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :-

i l t h d ' r 1 जिलाधीष एवं अध्यक्ष ई-गवर्नेंस सोसाईटी धर्मशाला हि0प्र0

- 2 उप मण्डल अधिकारी (ना0) ँव सचिव ई-गवर्नेस सोसाईटी धर्मषाला हि0प्र0
- 3 श्री अषोक सूद अनुभाग अधिकारी (अव सहायक नियन्त्रक) द्वारा.....

उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, षिमला-171009.